न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम सुण्डी वगैरह

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : – 07 / 2026

अन्तर्गत धारा : – अन्तर्गत धारा 131 132 व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2026	तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक भू.अ. / 2026 / 34 दिनांक 06.01.2026 के द्वारा ग्राम कृष्णा नगर के खसरा नंबर 382 / 377 97 / 3 97 97 / 4 96 / 3 व 96 में चल रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान् को नोटिस जारी किया गया। पक्षकारान / खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर कृष्णा नगर के खसरा नंबर 382 / 377 97 / 3 97 97 / 4 96 / 3 व 96 में चल रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु अपनी सहमती दी गई तथा सहमति के रूप मे हस्ताक्षर हैं। चुँकि मौके पर कदीमी रास्ता होने के साथ सलग्न दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है तथा इस बाबत किसी पक्षकार का खातेदारान को ऐतराज नही है। प्रकरण सुखाधिकार का होने से रास्ते का अंकन होने बाबत सर्व साधारण एव खातेदारान के लिए हितकर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कृष्णा नगर तहसील लूणी के खसरा नंबर 382 / 377, 97 / 3, 97, 97 / 4, 96 / 3 व 96 में चल रहे कदमी रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा मौका फर्द के अनुसार 15 फीट भूमि गै.मु. रास्ता के रूप मे इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदराम करे। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। हंसमुख कुमार आर. ए. एस. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	